रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2017/माघ 25, 1938
No. 398] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2017/MAGHA 25, 1938

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2017

**का.आ. 437(अ).**—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

## प्रारूप अधिसूचना

और, वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य के दमोह जिले में स्थित है और 23.97 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य में समृद्ध जैव-विविधता है और इसे रोजर्स और पवार वर्गीकरण के अनुसार 6ए वर्ग में वर्गीकृत किया गया है ;

और, अभयारण्य पहाड़ियों, घाटियों और छोटे मैदानों से मिलकर बना है और शुष्क पर्णपाती मिश्रित वनों और सागौन वनों में 121 पौधों की प्रजातियां हैं जिनमें से 70 वृक्ष की प्रजातियां हैं, यह इसकी विशेषता है;

और, अभयारण्य में स्तनधारियों की 18 प्रजातियां, पक्षी की 177 प्रजातियां, मछली और सरीसृपों की 16 प्रजातियां और उभयचरों की 10 प्रजातियों का वास है;

और, वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के महत्वपूर्ण जीव प्रजातियों में तेंदुआ (*पैंथरा पारडस*), भेड़िया (*केनिस लुपस*), सियार (*कैनिस औरेअस*), भारतीय भेड़िया (*क्वलपस बेंगालेंसिस*), धारीदार लकड़बग्घा (*हैयना हैयना*), रीछ (*मेलुरसस युरसिनस*), मांसाहारी और चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), सांभर हिरण (*करवस युनिकलर*), नीलगाय (*बोसेलाफस ट्रागोकैमेलस*), चिंकारा (*गैज़ेल्ला गैज़ेल्ला बेन्नेट्टी*), जंगली सूअर (*सस स्क्रोफा*), चौसिंगा (*टेट्रासरस क्वाडरिकोरनिस*) शामिल हैं;

और, वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार ने वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 2 किलोमीटर और 15 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन के वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 2 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 99.73 वर्ग किलोमीटर है; वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक क्रमश: **उपाबंध I** और **II** में दिए गए हैं |

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत 10 ग्रामों की सूची और उसके भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांक **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके सीमा वर्णन और अक्षांश और देशांतर के साथ **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है ।

**2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ; और

(x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 12, 24, 29, 39 और 40 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(क) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ख) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, मजबूत करना;

(ग) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(घ) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग है; और

(ङ) हिम और वर्षा जल संचयन |

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार द्वारा वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और विश्रामस्थलों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी :

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार ही अनुज्ञात किया जाएगा । परंतु विद्यमान स्थापनों का विस्तार आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां –**

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के स्थापना की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी |

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

**सारणी**

| क्रम सं. | क्रियाकलाप | टीका-टिप्पणी |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | **प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप** | |
| (1) | वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां । | (क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे ।<br>(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा । |
| (2) | आरा मीलों की स्थापना । | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । |

| | | |
|---|---|---|
| (3) | किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (4) | जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना। | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। |
| (5) | नए बृहत तापीय एवं जल विद्युत परियोजना की स्थापना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (6) | मछली पालन। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (7) | जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (8) | प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावं और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (9) | वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है। | (क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा।<br>(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है।<br>(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा।<br>(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। |
| (10) | पोलीथीन बैग का उपयोग। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (11) | विदेशी प्रजातियों को लाना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| | **विनियमित क्रियाकलाप** | |
| 12. | होटल और विश्राम स्थलों का वाणिज्यिक स्थापन । | संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी निवास स्थानों के।<br><br>तथापि, एक किलोमीटर के आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार, पर्यटन महायोजना के मार्गनिर्देशों के अनुरुप होंगे।<br><br>वाणिज्यिक पारिस्थितिक पर्यटन के साथ "वन्यजीव निवास में गैर वानिकी क्रियाकलापों के लिए दिशा-निर्देशों" के अनुसार जारी एफ. सं. 610/2011 वन्यजीव दिनांक 15 मार्च, 2011 द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्यजीव प्रभाग), नई दिल्ली और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों (यदि लागू हो) के साथ विनियमित किया जाएगा। |
| 13. | सन्निर्माण क्रियाकलाप । | (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा:<br>परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी :<br>परन्तु यह और कि प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे।<br>(ख) जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारों, आदि द्वारा संरक्षित क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 15. | सड़क, रेलवे और यातायात। | नए राजमार्ग या रेलवे लाइन का संनिर्माण नहीं किया जाएगा और विद्यमान सड़कों और रेलवे के यातायात की रात में संख्या और गति में विनियमित किया जाएगी (6 बजे शाम से 5 बजे सुबह तक)। |
| 16. | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 17. | वायु और यानीय प्रदूषण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 18. | ध्वनि प्रदूषण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 19. | भूमिगत जल की निकासी। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 20. | वृक्षों की कटाई। | (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।<br>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।<br>(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्ययोजना निर्देशों का पालन किया जाएगा। |
| 21. | विद्युत केबलों का परिनिर्माण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 22. | जैव निम्नीकरण योग्य सामग्री का पुन:चक्रण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 23. | विद्युत लाइनों का रोधन। | भूमिगत केबल लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 24. | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना। | यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा। |
| 25. | होटलों और लॉजों के परिसरों में बाड़ लगाना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।<br>वन्यजीव के मुक्त संचरण को अनुज्ञात करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों की कटीली तार से उनकी संपत्तियों को नहीं घेरा जाएगा और कोई घेरा 1 मीटर से ऊंचा नहीं होगा। इस अनुबंध का पालन न करने वाले किसी विद्यमान घेरे को आंचलिक महायोजना में उपबंधित समय-सीमा के उपान्तरित किया जाएगा। |
| 26. | कृषि प्रणली में प्रबल परिवर्तन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 27. | रात्रि में यानिक यातायात का संचलन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 28. | वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 29 | प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। | पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्पोत्पादन, उद्यानकृषि या कृषि आधारित औद्योगिक ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे । |
| 30. | गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 31. | ट्रेकिंग और कैम्पिंग। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 32. | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण। | किसी भी संनिर्माण क्रियाकलाप पर जब तक अन्यथा आंचलिक महायोजना के तहत पहाड़ी ढलानों को 1 से 10 तक अधिक और किसी भी नदी के किनारे और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर की दूरी तक के साथ कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। |
| 33. | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 34. | पारिस्थितिक-पर्यटन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 35. | डेयरी गतिविधियां और पशुपालन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| | **संवर्धित क्रियाकलाप** | |
| 36. | स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि पद्धतियाँ बागान और अन्य वानिकी गतिविधियाँ। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा। |
| 37. | जैविक खेती। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 38. | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना । | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा । |
| 39. | कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा । |
| 40. | हिम या वर्षा जल संचयन । | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा । |
| 41. | नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग । | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा । |
| 42. | बागान और अन्य वानिकी गतिविधि । | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा । |
| 43. | कृषि वानिकी । | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा । |
| 44. | पर्यावरणीय जागरुकता । | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा । |
| 45. | कौशल विकास। | सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा । |

**5. मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | जिला कलक्टर, दमोह - | अध्यक्ष; |
| (ii) | पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - | सदस्य; |
| (iii) | मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य; | |
| (iv) | कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, दमोह | सदस्य; |
| (v) | कार्यकारी अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, दमोह | सदस्य' |
| (vi) | राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य | सदस्य; |
| (vii) | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि- | सदस्य; |
| (viii) | प्रभागीय वन अधिकारी दमोह | सदस्य-सचिव । |

**6. निर्देश शर्तें –**

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(9). अंतिम अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. अंतिम अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/76/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध – I**

**वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक**

| दिशा | निर्देशांक | |
|---|---|---|
| | देशांतर | अक्षांश |
| उत्तर (ए) | 79º45'25.129″ | 23º34´01.327" |
| पूर्व (बी) | 79º49'13.283″ | 23º31´20.661" |
| दक्षिण (सी) | 79º48'31.757″ | 23º30´49.125" |
| पश्चिम (डी) | 79º42'39.339″ | 23º32´11.2" |

**उपाबंध-II**

**पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक**

| दिशा | निर्देशांक | |
|---|---|---|
| | देशांतर | अक्षांश |
| उत्तर (ए1) | 79º45'26.26″ | 23º35´6.548" |
| पूर्व (बी1) | 79º50'23.638″ | 23º31´15.657" |
| दक्षिण (सी1) | 79º48'31.229″ | 23º29´44.128" |
| पश्चिम (डी1) | 79º41'28.575″ | 23º32´11.473" |

**उपाबंध-III**

**पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का विवरण**

| क्र. सं. | विभाग का नाम | ग्राम के नाम | जिला | देशांतर | अक्षांश |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दमोह | देवोतरा पुरनयाउ | दमोह | 79º42'35.12″ | 23º32'39.33" |
| 2 | दमोह | तिलगवान | दमोह | 79º46'44.4″ | 23º32'24.4" |
| 3 | दमोह | गुबरा | दमोह | 79º49'57.2" | 23º31'74.0″ |
| 4 | दमोह | भैंसा | दमोह | 79º45'25.8" | 23º30'44.6" |
| 5 | दमोह | धनेता | दमोह | 79º49'35.70″ | 23º32'58.32" |
| 6 | दमोह | लमतरा | दमोह | 79º50'17.25″ | 23º32'24.93" |
| 7 | दमोह | सिंग्रामपुर | दमोह | 79º44'58.9" | 23º38'15.2" |
| 8 | दमोह | तनवरा | दमोह | 79º44'19.64″ | 23º30'45.67" |
| 9 | दमोह | जोगीखेरा | दमोह | 79º41'47.97″ | 23º32'04.56" |
| 10 | दमोह | सनवरा | दमोह | 79º44' 01.7″ | 23º29'57.21" |

**उपाबंध IV**

**वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र**

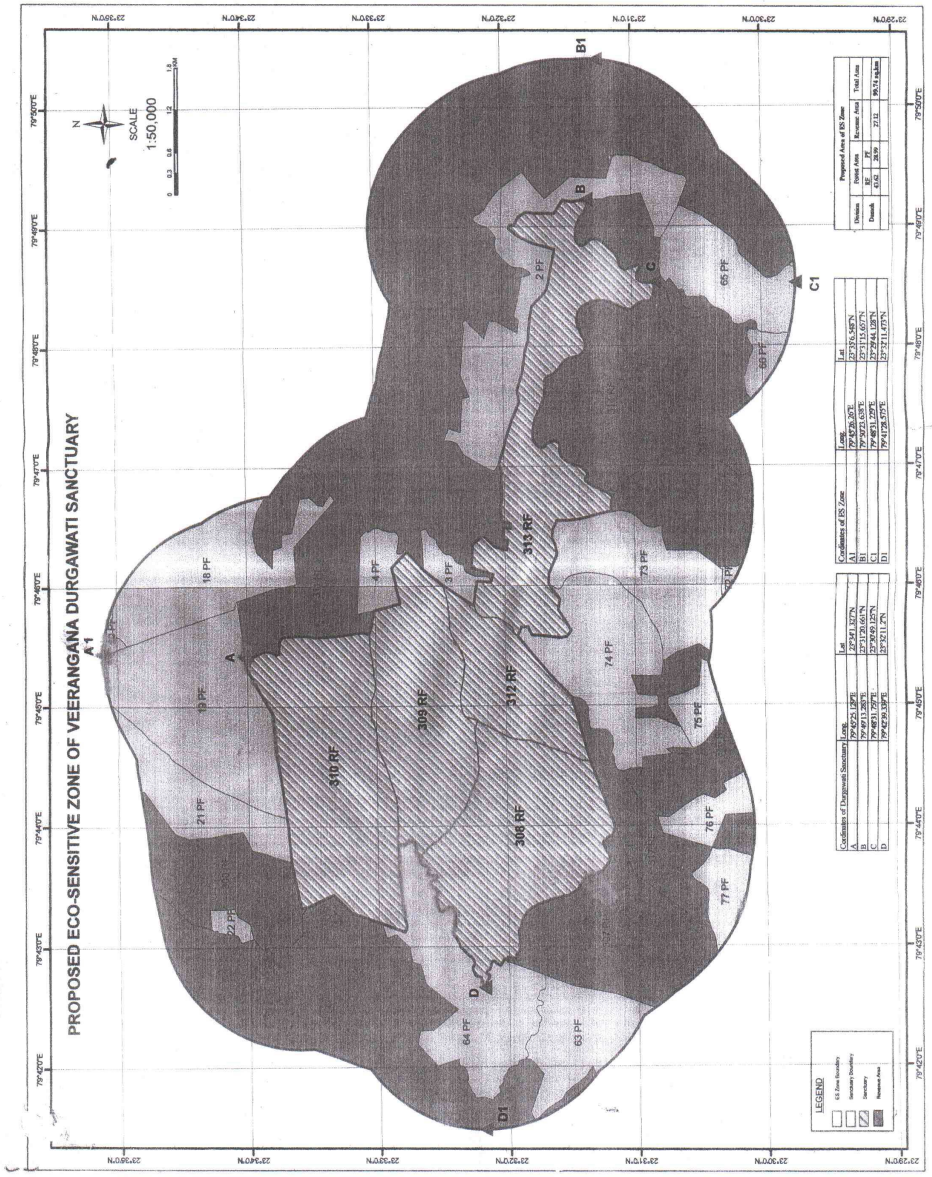


**उपाबंध V**

**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोन रीति से); (ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा) ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा)।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश; (ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा)।

7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2017

**S.O. 437(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

### Draft Notification

**WHEREAS**, the Veerangana Durgawati Wildlife Sanctuary is located in Damoh district in the State of Madhya Pradesh and spread over an area of 23.97 square kilometers;

**AND WHEREAS**, the Veerangana Durgawati Wildlife Sanctuary is rich in bio-diversity and it has been classified in category 6 A as per rogers and Pawar classification;

**AND WHEREAS**, the sanctuary has hills, valleys and small plains and is characterised by dry deciduous mixed forests and teak forests consisting of 121 plant species of which 70 are tree species;

**AND WHEREAS**, the sanctuary harbours 18 species of mammals, 177 bird species, 16 species of fish and reptiles and 10 species of amphibians;

**AND WHEREAS**, the important faunal species of Veerangana Durgawati Wildlife Sanctuary include Leopard (*Panthera Pardus*) Wolf (*Canis lupus*), Jackal (*Canis aureus*), indian fox (*Vulpes bengalensis*), Striped hyena (*Hyaena hyaena*) Sloth bear (*Melursus ursinus*) among carnivores and spotted deer ( *Axis axis*), Sambar deer(*Cervus unicolor*), Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), Chinkara (*Gazella gazelle bennetti*), Wild pig (*sus scrofa*), Chowsingha (*Tetracerus quadriconis*);

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Veerangana Durgawati Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying between 2 kilometers and 15 kilometers from boundary of Veerangana Durgawati Wildlife Sanctuary of the Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 2 kilometers to 15 kilometers from the boundary of Veerangana Durgawati Wildlife Sanctuary and the area of Eco sensitive Zone is 99.73 square kilometres; the co-ordinates of Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-I and II respectively.**

(2) The list of 10 villages and their Global Positioning System co-ordinates falling under the said Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure-III**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-IV**.

**2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with the local people and adhering to the stipulations given in the said notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in the manner specified in the aforesaid notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Madhya Pradesh State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in the final notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of the final notification, namely:-

(1) **Land use.—**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 24, 29, 39 and 40 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village artisans; and

(v) snower rainwater harvesting:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan;

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, in consultation with the Department of Forests and Environment of the State Government;

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Veerangana Durgawati Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc.,

shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of the final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of the final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture; and

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil or noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

| Sl.No. | Activity | Remarks |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| **Prohibited activities** | | |
| 1. | Commercial mining, stone quarrying and crushing units. | (a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.<br>(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012. |
| 2. | Setting up of saw mills. | No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 3. | Use or production of any hazardous substances. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 4. | Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution. | No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. |
| 5. | Establishment of major thermal and hydro-electric projects. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 6. | Fishing. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 7. | Commercial use of firewood. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 8. | Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 9. | Commercial water resources including ground water harvesting. | (a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.<br>(b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority.<br>(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.<br>(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture. |
| 10. | Use of polythene bags. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 11. | Introduction of exotic species. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| **Regulated activities** | | |
| 12. | Establishment of hotels and resorts. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary |

| | | |
|---|---|---|
| | | occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:<br>Provided that, beyond one kilometre or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.<br>Commercial eco-tourism establishments shall be regulated strictly in accordance with "the guidelines for taking non-forestry activities in Wild life, habitats" issued vide F.No.610/2011 WL, dated the 15th March, 2011 by the erstwhile Ministry of Environment and Forest (WL Division), New Delhi and National Tiger Conservation Authority Guidelines (if applicable). |
| 13. | Construction activities. | (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:<br>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:<br>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any.<br>(b) Beyond one kilometre upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction activities and construction and augmentation of civic amenities shall be regulated as per the Zonal Master Plan. |
| 14. | Undertaking activities related to tourism like over-flying the protected area by aircraft, hot-air balloons. | Regulated under applicable laws. |
| 15. | Road, railway and traffic. | No new Highway or Railway line construction will be done and traffic of existing roads and railway shall be regulated in number and speed in night (from 6 P.M to 5 A.M) |
| 16. | Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area. | Regulated under applicable laws. |
| 17. | Air and vehicular pollution. | Regulated under applicable laws. |
| 18. | Noise pollution. | Regulated under applicable laws. |
| 19. | Extraction of ground water. | Regulated under applicable laws. |
| 20. | Felling of trees. | (a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.<br>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.<br>(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed. |
| 21. | Erection of electric cables. | Regulated under applicable laws. |
| 22. | Recycling of Bio degradable material. | Regulated under applicable laws. |

| | | |
|---|---|---|
| 23. | Insulation of electric lines. | Underground cabling shall be Promoted |
| 24. | Widening and strengthening of existing roads. | Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable. |
| 25. | Fencing of existing premises of hotels and lodges. | Regulated under applicable laws.<br>In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter and any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan. |
| 26. | Drastic change of agriculture systems. | Regulated under applicable laws. |
| 27. | Movement of vehicular traffic at night. | Regulated under applicable laws. |
| 28. | Sign boards and hoardings. | Regulated under applicable laws. |
| 29. | Small scale industries not causing pollution. | Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted. |
| 30. | Collection of non-timber forest products. | Regulated under applicable laws. |
| 31. | Trekking and camping. | Regulated under applicable laws. |
| 32. | Protection of hill slopes and river banks. | No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 meters and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah. |
| 33. | Solid waste management. | Regulated under applicable laws. |
| 34. | Eco-tourism. | Regulated under applicable laws. |
| 35. | Dairy activities and cattle rearing. | Regulated under applicable laws. |
| **Promoted activities** | | |
| 36. | Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity. | Shall be actively promoted. |
| 37. | Organic farming. | Shall be actively promoted. |
| 38. | Adoption of green technology for all activities. | Shall be actively promoted. |
| 39. | Cottage industries including village artisans. | Shall be actively promoted. |
| 40. | Snow or rain water harvesting. | Shall be actively promoted. |
| 41. | Use of renewable energy sources. | Shall be actively promoted. |
| 42. | Plantation and other forestry activity. | Shall be actively promoted. |
| 43. | Agro foresty. | Shall be actively promoted. |
| 44. | Environmental awareness. | Shall be actively promoted. |
| 45. | Skill development. | Shall be actively promoted. |

**5. Monitoring Committee.-** The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i) District Collector Damoh, Chairman;

(ii) One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years - Member;

(iii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years - Member;

(iv) Executive Engineer Public Works Department, Damoh-Member;

(v) Executive Engineer Public Health Engineering, Damoh- Member;

(vi) Member State Bio Diversity Board-Member;

(vii) Representative from State Pollution Control Board-Member;

(viii) Divisional Forest Officer Damoh, Member Secretary.

**6. Terms of reference.-**

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the final provisions of this notification.

(2) The tenure of the monitoring Committee shall be three years.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), against any person who contravenes the provisions of the final notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per performa appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

(9) The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of the final notification.

**6.** The provisions of the final notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/76/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

**ANNEXURE- I**

**Co-ordinates of Veerangana Durgawati Wildlife Sanctuary**

| Direction | Co-ordintes | |
|---|---|---|
| | Longitude | Latitude |
| North (A) | 79º45’25.129″ | 23º34´01.327” |
| East (B) | 79º49’13.283″ | 23º31´20.661” |
| South (C) | 79º48’31.757″ | 23º30´49.125” |
| West (D) | 79º42’39.339″ | 23º32´11.2” |

**ANNEXURE- II**

**Co-ordinates of Eco-sensitive Zone**

| Direction | Co-ordintes | |
|---|---|---|
| | Longitude | Latitude |
| North (A1) | 79º45’26.26″ | 23º35´6.548” |
| East (B1) | 79º50’23.638″ | 23º31´15.657” |
| South (C1) | 79º48’31.229″ | 23º29´44.128” |
| West (D1) | 79º41’28.575″ | 23º32´11.473” |

**ANNEXURE- III**

**Detail of villages within the Eco-sensitive Zone**

| Sl. No. | Name of division | Name of village | District | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damoh | Deotara Puranyau | Damoh | 79º42’35.12″ | 23º32’39.33” |
| 2 | Damoh | Tilgwan | Damoh | 79º46’44.4″ | 23º32’24.4” |
| 3 | Damoh | Gubra | Damoh | 79º49’57.2” | 23º31’74.0″ |
| 4 | Damoh | Bhainsa | Damoh | 79º45’25.8” | 23º30’44.6” |
| 5 | Damoh | Dhaneta | Damoh | 79º49’35.70″ | 23º32’58.32” |
| 6 | Damoh | Lamtara | Damoh | 79º50’17.25″ | 23º32’24.93” |
| 7 | Damoh | Singrampur | Damoh | 79º44’58.9” | 23º38’15.2” |
| 8 | Damoh | Tanwra | Damoh | 79º44’19.64″ | 23º30’45.67” |
| 9 | Damoh | Jogikhera | Damoh | 79º41’47.97″ | 23º32’04.56” |
| 10 | Damoh | Sanwra | Damoh | 79º44’ 01.7″ | 23º29’57.21” |

**ANNEXURE- IV**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF VEERANGANA DURGAWATI WILDLIFE SANCTUARY**

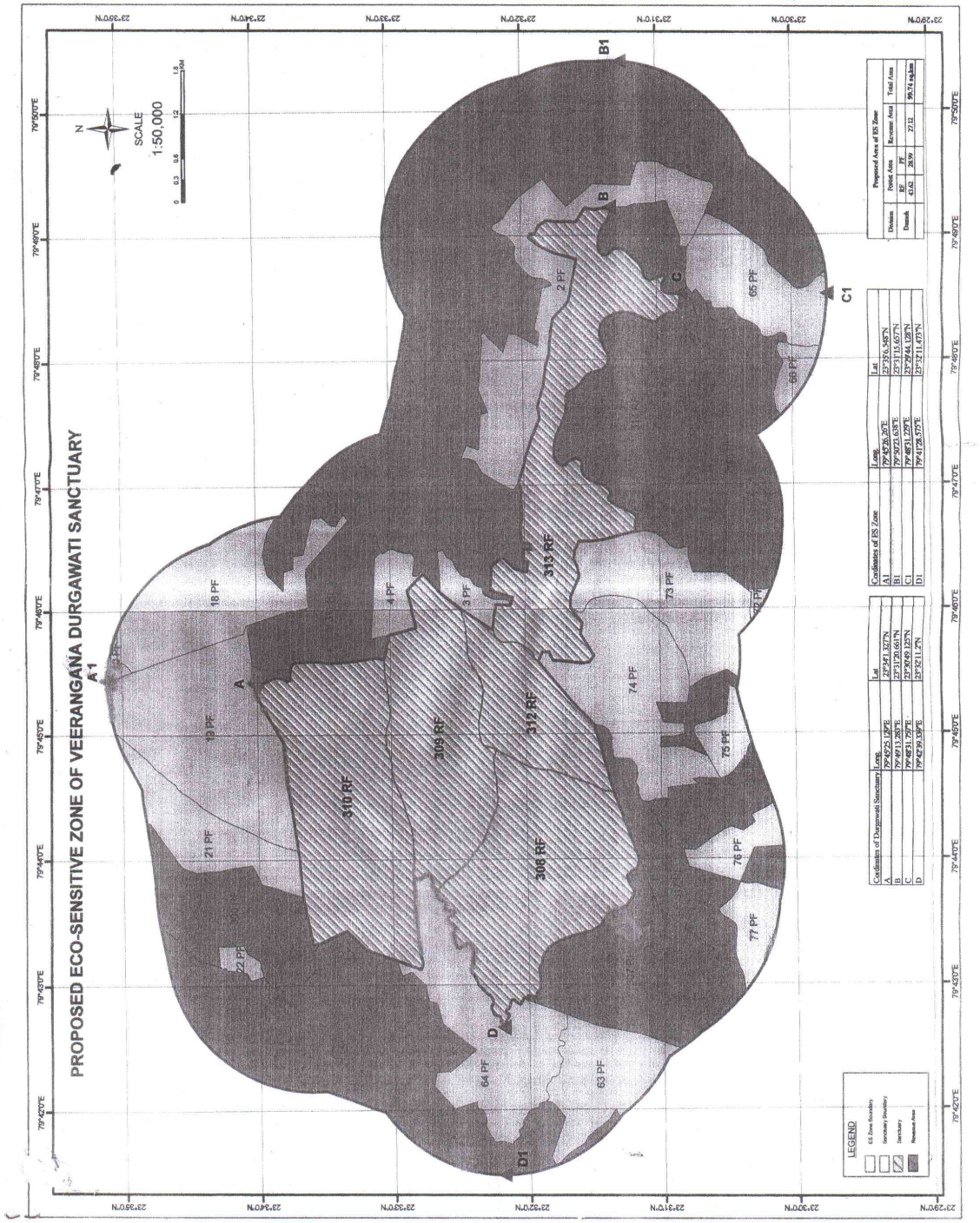

**ANNEXURE-V**

**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise);[Details may be attached as Annexure].
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; [Details may be attached as separate Annexure].
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006;[Details may be attached as separate Annexure].
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.20 10:50:19 +05'30'